

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2016-अग्रहायण 4, शके 1938

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### CHANGE OF NAME

I, Anil Kumar Tanwar here by declare that I have change my name as Anil Tanwar. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:

( ANIL KUMAR TANWAR )

(490-B.)

New Name :

( ANIL TANWAR )

Add :— 404, Sukhdham Appartment,  
165, Vidhya Nagar, Indore (M.P.).

#### CHANGE OF NAME

My daughter previous name Puneet Kaur Bagga has been changed to Tanvi Bagga D/o Paramjeet Singh Bagga. Therefore in future my daughter will be known by the his new name only Tanvi Bagga.

Old Name:

( PUNEET KAUR BAGGA )

(491-B.)

New Name :

( TANVI BAGGA )

Paramjeet Singh Bagga,  
Add :— 508, Vishnupuri Nx, Indore.

#### CHANGE OF NAME

I, Praveen L Jyothi S/o S. T. Jyothi Mahendran (Male) Age-28, Date of Birth 24-06-1988. Residing at E-3/168, First Floor, Arera Colony, Bhopal-462016 (Madhya Pradesh) do hereby Sollemnly State in oath that ; Due to mistake in my name in my SSC Board Certificate issued by Central Board of Secondary

education Ajmer, Roll No. 1123691 Year of passing 2003 from Champion School Bhopal (Madhya Pradesh) is wrongly mentioned as : Praveen Jyothi S/o S. T. Jyothi Mahendran in place of Praveen L Jyothi S/o S. T. Jyothi Mahendran.

Therefor all concerned please note the correction as per affidavit Dated 21 November, 2016 to be published in the Government Gazatte (Rajpatra) for necessary correction.

Old Name:

( PRAVEEN JYOTHI )

(496-B.)

New Name :

( PRAVEEN L JYOTHI )

Bhopal (M.P.).

### आम सूचना

आम जनता एवं समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस. के. कंस्ट्रक्शन कम्पनी, पता-148, ए. पी. आर. कॉलोनी कटंगा, जबलपुर जो कि इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म है, उक्त फर्म की जो 01-04-2008 को पार्टनरशिप डीड बनाई गई थी. उसमें 09 भागीदार श्री सुनील कुमार गर्ग पिता स्व. श्री एच. के. गर्ग, श्री संजीव कुमार गर्ग, पिता स्व. श्री एच. के. गर्ग, श्री सौरभ गर्ग पिता स्व. श्री एच. के. गर्ग, श्रीमति शिखा गर्ग पति श्री सुनील कुमार गर्ग एवं श्रीमति अर्चना गर्ग पति श्री संजीव कुमार गर्ग एवं श्रीमति श्वेता गर्ग पति श्री सौरभ गर्ग, श्री सुनील कुमार गर्ग (एच.यू.एफ) कर्ता श्री सुनील कुमार गर्ग एवं श्री संजीव कुमार गर्ग (एच.यू.एफ) कर्ता श्री संजीव कुमार गर्ग एवं सौरभ गर्ग (एच.यू.एफ) कर्ता सौरभ गर्ग है. फर्म का पता एवं सभी पार्टनर का स्थायी निवास 148, ए. पी. आर. कॉलोनी कटंगा, जबलपुर है. 01-04-2016 को संशोधन करते हुए श्री सुनील कुमार गर्ग (एच.यू.एफ) कर्ता श्री सुनील कुमार गर्ग एवं श्री संजीव कुमार गर्ग (एच.यू.एफ) कर्ता श्री संजीव कुमार गर्ग एवं सौरभ गर्ग (एच.यू.एफ) कर्ता सौरभ गर्ग को फर्म से अलग कर दिया गया है. इस तरह फर्म में कुल 06 भागीदार शेष रह गये हैं. इस तरह मेसर्स एस. के. कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पार्टनरशिप डीड में दिनांक 01-04-2016 के बाद से आज तक कुल 06 भागीदार यथावत हैं, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके बावजूद इस आज सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है.

मेसर्स एस. के. कंस्ट्रक्शन कं.,  
सौरभ कुमार गर्ग,  
( भागीदार )  
148, ए. पी. आर. कॉलोनी कटंगा,  
जबलपुर, (म.प्र.).

(492-बी.)

### आम सूचना

फर्म मैसर्स तुषार इन्टरप्राइजेज, पता-एमएफ 23-24, ब्लॉक-सी, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, बीजेपी ऑफिस के पास, भोपाल-462011, की रचना में दिनांक 01-04-2013 से परिवर्तन करते हुए श्रीमती अनामिका सिंह, पता-बी-76, आकृति गार्डन, नेहरू नगर, भोपाल एवं श्री आयुष श्रीवास्तव, पता एफ-2, 61/1, बैकुंठ अपार्टमेंट, शाक्तिनगर, भोपाल को दिनांक 01-04-2013 से फर्म में सम्मिलित किया गया. जं. नं. एमपी/1937/2013 तदनुसार सूचित हो.

मेसर्स तुषार इन्टरप्राइजेस,  
केशव सिंह गौर,  
( भागीदार ).

(493-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गौरी कंस्ट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी, स्थित 107, न्यू शिवाजी नगर, ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0081/06, दिनांक 25 सितम्बर, 2006 है. जिसमें दिनांक 01-10-2016 से भागीदार श्रीमती मीरा बाई पति स्व. श्री परशुराम गुलराजानी, निवासी 47, गुरु नानक कॉलोनी, दतिया बीमारी के कारण फर्म में समय ना देने से फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रही हैं एवं इसी दिनांक 01-10-2016 से श्रीमती स्वता समनानी पति श्री आशीष कुमार गुलराजानी, निवासी 103-बी, गुरुनानक कॉलोनी, दतिया फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—गौरी कंस्ट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी,  
संजय प्रकाश मलोटिया,  
( भागीदार )  
107, न्यू शिवाजी नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(494-बी.)

**आम सूचना****( भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र )**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मारुति डेवलपर्स, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00529/13, (सन् 2012-2013), दिनांक 06 मार्च, 2013 को हुआ था. उक्त फर्म में से भागीदार श्री गर्वित नाहटा आत्मज श्री ललित नाहटा 31 मार्च, 2015 से पृथक् हो गये हैं जिसकी संशोधित भागीदारी एवं त्याग-पत्र 28 मई, 2015 को बनाया गया है एवं (1) श्री मोहम्मद राशिद खान आत्मज श्री गुलाम हबीब खान, निवास 56, चौकी तलैया, भोपाल एवं (2) उमर अमान आत्मज श्री आरिफ अमान, निवास इतवारा भोपाल फर्म में सम्मिलित हो गए तथा दिनांक 01-04-2016 से प्रभावी एवं 27 मई, 2016 को संशोधित भागीदारी पत्र द्वारा मारुती डेवलपर्स के भागीदारगण.—

(1) श्री महेंद्र अग्रवाल पिता स्वर्गीय श्री मिट्टुलाल जी अग्रवाल, उम्र 56, निवासी जैन मंदिर रोड, भोपाल.

(2) श्री नीरज अग्रवाल पिता श्री किशन लाल जी अग्रवाल, उम्र 38, निवासी-31 काजीपुरा, भोपाल.

(3) श्री नरेंद्र शर्मा पिता स्वर्गीय श्री नोनितराम जी शर्मा, उम्र 47, निवासी सी-1, यशोधरा एन्क्लेव, विट्टल नगर नेवरी मंदिर, भोपाल.

उक्त तीनों भागीदारी फर्म से पृथक् हो गए हैं.

मैसर्स मारुती डेवलपर्स,

(1) मोहम्मद राशिद खान,

(2) उमर अमान,

(भागीदारगण).

(495-बी.)

**मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर**

इन्दौर, दिनांक 02 नवम्बर, 2016

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ ऑनलाईन परीक्षा-2016, परीक्षा, दिनांक 25 सितम्बर, 2016 (रविवार)

संक्षिप्त समाचार-विज्ञप्ति

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 05 दिसम्बर, 2016 है, साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)

वि.क्र.-11958/35/2016/अनु.-10.—विज्ञापन क्रमांक-04/परीक्षा/2016, दिनांक 18 मई, 2016 ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2016 मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के कुल-492 पदों हेतु पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा ऑनलाईन-2016, परीक्षा दिनांक 25 सितम्बर, 2016 (रविवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर स्थित 04 केन्द्रों पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी किये गये. लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-450 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-354, अनुसूचित जाति-26, अनुसूचित जनजाति-37 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-33 सम्मिलित हैं. माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न याचिकाओं में दिए गए निर्देशानुसार कुल-99 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है. निःशक्तजन व भूतपूर्व सैनिक के पद निरंक हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा-2016, परीक्षा दिनांक 25 सितम्बर, 2016 (रविवार) के सभी साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गये आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.
3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी. साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी. परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है.

दिनेश जैन,

परीक्षा नियंत्रक.

इन्दौर, दिनांक 02 नवम्बर, 2016

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ ऑनलाईन परीक्षा-2016, परीक्षा, दिनांक 25 सितम्बर, 2016 (रविवार)

लिखित परीक्षा परिणाम

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 05 दिसम्बर, 2016 निर्धारित है। साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)

वि.क्र.-11958/35/2016/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/परीक्षा/2016/18-05-2016, अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग के तहत पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के कुल-492 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30-06-2016 निर्धारित थी। उपरोक्त पद हेतु पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा-2016, परीक्षा दिनांक 25 सितम्बर, 2016 (रविवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर स्थित 04 केन्द्रों पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञापित क्र.-11958/35/2016/अनु.-10, दिनांक 02 नवम्बर, 2016 द्वारा घोषित किया गया है। यह लिखित परीक्षा परिणाम "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसे आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर देखा जा सकता है।

इस परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये। लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-450 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-354, अनुसूचित जाति-26, अनुसूचित जनजाति-37 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-33, सम्मिलित हैं। माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न याचिकाओं में दिए गए निर्देशानुसार कुल-99 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक के पद निरंक हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

- पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा-2016, परीक्षा दिनांक 25 सितम्बर, 2016 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गये आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी।
- आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञापित द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार है:-

#### कुल विज्ञापित रिक्तियों की श्रेणीवार, वर्गवार संख्या

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिर्वर्ग	योग
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	140	86	227	39	492
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ	46	29	75	13	163
क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिर्वर्ग	योग
(अ)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या	354	26	37	33	450
(ब)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से महिलाओं के लिये आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रावधिक अर्ह महिला आवेदकों की संख्या	121	06	15	04	146

VETERINARY ASSISTANT SURGEON EXAM 2016

POST NAME : VETERINARY ASSISTANT SURGEON

EXAM DATE : 25-SEP-2016

LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR INTERVIEW

SL. No.	ROLL No.	NAME
1	VS1005	DEEPIKA PARTETI

SL. No.	ROLL No.	NAME
2	VS1006	SWETA GARG
3	VS1007	WASEEM KHAN
4	VS1008	ABHISHEK SHRIVASTAVA
5	VS1009	SHIVA GUPTA
6	VS1010	SANDEEP SHARMA
7	VS1012	CHANDRAKANTA RAWAT
8	VS1013	MADHU MISHRA
9	VS1014	KANTI RAJE
10	VS1015	NARENDRA SINGH BUNDELA
11	VS1017	ASHISH MUDGAL
12	VS1018	PRERNA THAKUR
13	VS1019	RAJKUMAR PARMAR
14	VS1020	MANOJ KUSHWAH
15	VS1021	DINESH KUMAR SAHU
16	VS1022	MANOJ BAGRI
17	VS1023	MOHAN MUWEL
18	VS1024	SUMIT SONI
19	VS1025	JYOTI SAINI
20	VS1026	SONU PATIDAR
21	VS1027	DR. PAVAN SOLANKI
22	VS1028	ABINASH SINGH BARAILIYA
23	VS1029	MUKESH SHARMA
24	VS1033	SHAILENDRA BHANDARI
25	VS1034	SANJAY SONKESHARIYA
26	VS1036	NEELIMA PATEL
27	VS1037	ANIL SINGH
28	VS1038	SUPRIYA GUPTA
29	VS1040	DR VIJAY KUMAR SHARMA
30	VS1041	JIGYASA RANA
31	VS1042	VIJAY RATHOD
32	VS1043	BABLU JAMRE
33	VS1044	RAKESH KUMAR DHAKAD
34	VS1045	DIMPEE SINGH GONGE
35	VS1046	PAWAN MAHESHWARI
36	VS1047	DR ANJANA MANJHI
37	VS1048	SACHIN KUMAR UPADHYAY
38	VS1050	KUMAR GOVIL
39	VS1051	PREETI BARDE
40	VS1052	RAJENDRA KUMAR KALMODIA
41	VS1053	ANKIT NIGAM
42	VS1055	SHWETA THAKUR
43	VS1058	DHARMENDRA KUMAR YADAV
44	VS1059	MADHURI DHURVEY
45	VS1060	RASHMI VISHWAKARMA
46	VS1061	DEEPESH GAUTAM
47	VS1062	BAL KRISHAN SHARMA
48	VS1063	RACHANA SHARMA
49	VS1064	GEETALODHI
50	VS1065	JITENDRA SINGH YADAV

SL. No.	ROLL No.	NAME
51	VS1066	MEEMANSHA SHARMA
52	VS1067	SARIKA CHOUHAN
53	VS1068	KU. KIRTI SINGH
54	VS1069	ARUNA MANDRHA
55	VS1070	SHYAMSUNDER ALAWA
56	VS1071	RAGINI HAZARI
57	VS1072	DEEPIKA JAIN
58	VS1073	CHETAN SINGH
59	VS1074	JITENDRA SINGH TOMAR
60	VS1075	PRIYANKAACHALE
61	VS1077	SHIVANGI PATHAK
62	VS1078	GAJENDRA SINGH DHAKAD
63	VS1079	TARA CHAND JANGIR
64	VS1080	SHILPA CHOUDHARY
65	VS1081	PRIYANKA SHAKYA
66	VS1082	NEHA SAHU
67	VS1084	YOGENDRA SINGH
68	VS1085	SUBHASH SINGH PARIHAR
69	VS1087	JYOTI MANDLOI
70	VS1088	BHANU PRATAP SINGH THAKUR
71	VS1089	DEEPAK KUMAR BANSAL
72	VS1092	SUNIL KUMAR GOYAL
73	VS1093	AJAY KUMAR MISHRA
74	VS1094	SURESH KANEL
75	VS1095	DEEPAK LAL KUMHAR
76	VS1097	AMIT GUPTA
77	VS1099	PRAMILA KIRADE
78	VS1100	RAHUL NIRANJAN
79	VS1102	JAIRAM KUMAR AWASE
80	VS1104	SHOBHNA MADAVI
81	VS1105	ARVIND NAGESHWAR
82	VS1106	SHAILENDRA KUMAR THAKUR
83	VS1107	PRIYANKA KUSHRAM
84	VS1108	RANJANA MUVEL
85	VS1109	MAYANK GUPTA
86	VS1110	SHAKUNTALA BIRLA
87	VS1111	ASHISH KUMAR GODANI
88	VS1112	VANDANA MARKAM
89	VS1113	DINESH SINGH YADAV
90	VS1114	NEERAJ SINGH RAJPOOT
91	VS1115	AMIT KUMAR NIKHRA
92	VS1116	ROHIT KUMAR SITOLE
93	VS1117	ASMA SHAIKH
94	VS1118	NAVIN KUMAR BANSAL

SL.No.	ROLL No.	NAME
95	VS1120	NASHEEMA SIDDIQUE
96	VS1121	ADITYAAGRAWAL
97	VS1122	SMITA VERMA
98	VS1123	MANISH KUMAR KUSHWAHA
99	VS1125	DIRBESH PATEL
100	VS1126	RAHUL JAMARA
101	VS1127	JYOTI PANDEY
102	VS1128	AKHILESH PIPPAL
103	VS1129	AMIT KUMAR DODVE
104	VS1130	SARITA MANGAL
105	VS1131	ABHISHEK RAJPUT
106	VS1133	PRAGATI PATEL
107	VS1134	SOMIL RAI
108	VS1135	DIGVIJAY SINGH GOUR
109	VS1138	ASTHA CHAURASIA
110	VS1139	SEEMA THAKUR
111	VS1141	SANJAY MANDLOI
112	VS1143	KRISHAN KANT DHAKAR
113	VS1144	INDRESH KUMAR NARAVARIYA
114	VS1146	YOGESH KUMAR GUPTA
115	VS1147	JITENDRA BAGHEL
116	VS1148	VINEET KESHARI
117	VS1151	CHHATRAPAL SINGH NARBARIYA
118	VS1152	SAURABH SEN
119	VS1153	DEEPAK SINGH RAJPUT
120	VS1154	BHAWANA RANI
121	VS1155	SWETA AGNIHOTRI
122	VS1157	ARVIND KIRAR
123	VS1158	MANISH DUBEY
124	VS1159	RAJ KUMAR SHARMA
125	VS1160	AMIT KUMAR SINGH
126	VS1162	ANIL KUMAR SOLANKY
127	VS1163	MILAN KIRAR
128	VS1164	VIKAS SHARMA
129	VS1165	MAHENDRA PATEL
130	VS1166	LAXMAN PRASAD SHARMA
131	VS1168	DEEPAK WASKLE
132	VS1169	GARIMA SHUKLA
133	VS1170	RAMLAL GANAWA
134	VS1173	SONU SHARMA
135	VS1175	PRITIBALA RAWAT
136	VS1176	ANUBHA PRASHANT PATHAK
137	VS1177	DEEPAK SINGH
138	VS1178	VINAY KUMAR INDORIA

SL.No.	ROLL No.	NAME
139	VS1179	SACHIN KUMAR MANDLOI
140	VS1180	SANDEEP KUMAR SHARMA
141	VS1181	SUMIT SINGH
142	VS1183	NEERAJ SINGH THAKUR
143	VS1184	PRIYANKA MARSKOLE
144	VS1185	UPENDRA SINGH YADAV
145	VS1186	UTKARSH KUMAR BHARADWAJ
146	VS1187	ANAMIKA VISHWAKARMA
147	VS1189	NARENDRA KUMAR MADURIA
148	VS1191	SHWETA SINGH CHAUHAN
149	VS1193	PHOOL CHAND DHURWEY
150	VS1194	ROOP SINGH PACHAYA
151	VS1195	PRANAY BHARTI
152	VS1196	CHANDRASHEKHAR UBNARE
153	VS1197	SANTOSH KUMAR PATEL
154	VS1198	SUNIL SINGH NARWARIA
155	VS1200	MAHESH KUMAR BAWANKAR
156	VS1201	MANISH CHAURASIA
157	VS1202	DR. DEEPAK NAVANI
158	VS1203	SAKSHI TIWARI
159	VS1204	LAXMIKANT GOYAL
160	VS1205	SIMANT KUMAR SHARMA
161	VS1208	ANJALI KHARE
162	VS1209	MUKESH BAGHEL
163	VS1210	DINESH YADAV
164	VS1211	RAJNI KANTA SHARMA
165	VS1212	RUPESH PATEL
166	VS1213	RATNESH SINGH
167	VS1214	PUSHPENDRA SINGH
168	VS1215	MEENA VERMA
169	VS1216	RAVINDRA KUMAR PATEL
170	VS1219	ATUL SONI
171	VS1220	SHIVA SINGH PARIHAR
172	VS1221	GAYATRI KASHYAP
173	VS1222	PRASHANT SINGH
174	VS1223	PRIYA SHUKLA
175	VS1225	OM PRATAP SINGH KUSHWAH
176	VS1227	POONAM QURESHI
177	VS1228	JAY PRATAP SINGH
178	VS1229	SHASHI TEKAM
179	VS1230	POONAM DOHARE
180	VS1231	PRADEEP SHARMA
181	VS1232	AVINASH SINGH
182	VS1233	AKANKSHA UPADHYAY



SL. No.	ROLL No.	NAME
183	VS1234	SHAIENDRA SINGH
184	VS1236	PUSHPRAJ SINGH
185	VS1237	RASHMI AGRAWAL
186	VS1239	SAVYASANCHI TRIPATHI
187	VS1245	NAVEEN KUMAR SHAKYA
188	VS1247	AKHILESH KUMAR SINGH
189	VS1248	AMIT SHAKYA
190	VS1249	RAJKUMAR GAMI
191	VS1250	SAKSHI DUBEY
192	VS1251	NIRMALA MUWEL
193	VS1252	BHAWANA KUSHWAHA
194	VS1255	DHARMENDRA SINGH YADAV
195	VS1257	SHAILESH KUMAR PATEL
196	VS1258	UMESH KUMAR MANDLOI
197	VS1259	DINESH KUMAR DIXIT
198	VS1260	RAMRATAN SHAKYA
199	VS1261	DHARMENDRA KUMAR CHAWLE
200	VS1262	SANJAY SINGH KAURAV
201	VS1263	GARVITA ROONWAL
202	VS1264	SHITAL KUMAR GAUTAM
203	VS1265	ARCHANA RAJE
204	VS1266	MAYANK KUMAR RATHOUR
205	VS1269	SONU KUMAR JAIN
206	VS1270	PUSHPESH KUMAR RATHOUR
207	VS1271	KAMAL GUPTA
208	VS1272	BALBEER SINGH DHAKAR
209	VS1273	AANCHAL CHOUDHARY
210	VS1274	ATUL TRIVEDI
211	VS1275	BRIJESH SINGH
212	VS1276	RAKESH AHUJA
213	VS1277	SUNITA CHOUHAN
214	VS1278	DHEERENDRACHOUDHRY
215	VS1279	DR. PRIYANKA SINHA
216	VS1280	MAHESH SURYAVANSHI
217	VS1281	PRIYANKA PANDEY
218	VS1283	MANISHA TAWAR
219	VS1284	VINEETASINGH
220	VS1287	EUDITH MANJU TOPPO
221	VS1288	KHUSHBOO JAIN
222	VS1289	INDAR SINGH DOHARE
223	VS1290	DEVVRAT KOSTI
224	VS1291	ADITYA JAISWAL
225	VS1292	RAKESH KUMAR VARESHVA
226	VS1293	MANOJ KUMAR SHAKYA

SL. No.	ROLL No.	NAME
227	VS1294	DINESH KUMAR
228	VS1295	SHIWANI TIWARI
229	VS1296	MANISHA BANDIL
230	VS1297	HARIKANT BILWAR
231	VS1298	RAVI KUMAR GUPTA
232	VS1299	RAM KUMAR SHARMA
233	VS1301	MUKESH DAWAR
234	VS1302	BHARAT LAL SHARMA
235	VS1303	KALPANA JAISWAL
236	VS1304	PANKAJ AGARWAL
237	VS1306	DASHRATH PATIDAR
238	VS1307	DEEPAK SAHAY SAXENA
239	VS1308	ANCHAL KESHRI
240	VS1309	RAVIKANT HEERANI
241	VS1310	SANTOSH KUMAR SHIVHARE
242	VS1312	PRADEEP SINGH
243	VS1313	PAWAN KUMAR KAWARETI
244	VS1314	PANKAJ BHATI
245	VS1315	DURAG SINGH LODHI
246	VS1317	DR DURGESH MITTAL
247	VS1318	MANEESH KUMAR TIWARI
248	VS1319	NEETI LAKHANI
249	VS1320	VINNY DODIYAR
250	VS1322	DEVENDRA SINGH PATEL
251	VS1323	RISHIKESH YADAV
252	VS1324	DEEPA SINGH
253	VS1325	MANEESH CHAURASIYA
254	VS1327	AJAY DANDOTIYA
255	VS1328	ANITA BAGHEL
256	VS1329	RAJESHWARI MARKAM NAYAK
257	VS1330	DEEPAK PANDEY
258	VS1331	NARENDRA SINGH DAVAR
259	VS1332	NIKITA DAWAR
260	VS1333	DILIP KUMAR KALA
261	VS1335	AMIT KUMAR CHAURASIYA
262	VS1336	MAHESH KHARADI
263	VS1337	NARENDRA SINGH SEMAR
264	VS1338	MAHENDRA PAL SINGH KSHATRIYA
265	VS1339	DEVENDRA KUMAR SHAKYA
266	VS1341	PRAMOD SHARMA
267	VS1342	AKASH SINGH SIKARWAR
268	VS1345	PRIYA AGRAWAL
269	VS1346	AAMIR KHAN
270	VS1347	ABHISHEK MEHRA

SL. No.	ROLL No.	NAME
271	VS1348	PRAGYA YADAV
272	VS1349	CHANDRAPAL SINGH SOLANKI
273	VS1351	AJENDAR SINGH PAL
274	VS1352	SAURABH KUMAR RAJVAIDYA
275	VS1353	DR. ASHOK KUMAR
276	VS1354	ATMANAND MISHRA
277	VS1355	SAURABH RAJPOOT
278	VS1356	MOHD IFTASHAM QURESHI
279	VS1357	PRIYA SINGH
280	VS1358	APOORVA ARGADE
281	VS1359	SHASHI BHARTI
282	VS1360	JAYVIKAS DUDWA
283	VS1361	POOJA BADSAR
284	VS1363	ADESH KUMAR
285	VS1365	HITESH RAJE
286	VS1366	ABHISHEK ASATI
287	VS1368	AKHILESH SINGH KUSHWAH
288	VS1369	SUDHIR KUMAR JAIN
289	VS1370	SONU KADAM
290	VS1371	MONIKA AGRAWAL
291	VS1372	SHIVANGI BAWANE
292	VS1373	ARCHANA SINGH DHAKAD
293	VS1374	RAM CHARAN SINGRAUL
294	VS1375	VIRENDRA VIKRAM SINGH
295	VS1376	ANUJ PRATAP SINGH
296	VS1377	MANISH KUMAR SHUKLA
297	VS1379	PALLOVE SAWHNEY
298	VS1380	PRAVEEN DUBEY
299	VS1381	VISHNU PATIDAR
300	VS1382	MONA SHARMA
301	VS1384	SHEKHAR SAHU
302	VS1385	RAM KUMAR SINGH TOMAR
303	VS1387	PURNIMA SINGH
304	VS1389	ANURADHA PATEL
305	VS1390	MAHIP DIXIT
306	VS1391	SAKSHI BHADOURIYA
307	VS1392	SHWETA KAMBLE
308	VS1393	MOHAR SINGH KUSHWAH
309	VS1394	AARTI SALAME
310	VS1395	ARPANA RAIKWAR
311	VS1396	RUPESH VERMA
312	VS1397	PRATIBHA MALVIYA
313	VS1398	DR. RAKESH KUMAR PANDEY
314	VS1400	RITU KOTHE TAWDE

SL. No.	ROLL No.	NAME
315	VS1401	MANISH YADAV
316	VS1402	JITENDRA KUMAR
317	VS1403	BASEEM KHAN
318	VS1404	LOKESH WASKEL
319	VS1405	ANOOP VAIS
320	VS1406	KHEMENDRA ROKDE
321	VS1408	TUSHAR THOSAR
322	VS1411	ONKAR ANCHAL
323	VS1413	YOGESH KUMBHKAR
324	VS1414	ANAND SINGH JADOUN
325	VS1415	VIVEK SINGH SIKARWAR
326	VS1416	SHAKTI SINGH CHOUHAN
327	VS1417	RUCHI SINGH BAGHEL
328	VS1418	ARCHANA MAHOBIYA
329	VS1422	RAKESH AWASHE
330	VS1426	HARIRAM MAJHI
331	VS1427	BUDHA WASKALE
332	VS1428	VIPIN PATEL
333	VS1429	PRIYA WALIYA
334	VS1430	HARISH SHARMA
335	VS1431	MAHESH BARMAN
336	VS1432	GIRISH MANGAL
337	VS1433	SANDEEP SHUKLA
338	VS1434	PAVAN KUMAR RAJPUT
339	VS1436	DEEPANSHU GUPTA
340	VS1438	RUCHI TRIPATHI
341	VS1441	JITENDRA SINGH RAJPOOT
342	VS1442	SACHIN SINGH
343	VS1444	HARISH KUSHWAH
344	VS1445	KAUSAR QADRI
345	VS1446	NEHA SURESWER
346	VS1448	NEETU PANDIT
347	VS1449	ASHA SOLANKI
348	VS1450	ARVIND KUMAR SHARMA
349	VS1451	SURENDRA KUMAR MARSKOLE
350	VS1452	RAHUL PARASHAR
351	VS1453	SRITI PANDEY
352	VS1454	JYOTI PATEL
353	VS1455	HARE SINGH WASKEL
354	VS1456	PANKAJ BABU KAUSHIK
355	VS1457	SURENDRA SINGH RAWAT
356	VS1458	RAKESH KUMAR DHANDE
357	VS1460	SHILPA GAJBHIYE
358	VS1461	DR. RITIKA MANDHWANI MANDHWANI

SL. No.	ROLL No.	NAME
359	VS1462	ALKA SUMAN
360	VS1463	DEVENDRA SHARMA
361	VS1464	MEGH SINGH
362	VS1465	DEEPAK NINGWAL
363	VS1466	ANJU SHARMA
364	VS1467	SUSHMITA SASTYA
365	VS1469	PRAWEEEN KUMAR MASRAM
366	VS1470	SHRAWAN KUMAR KURMEE
367	VS1471	SANJAY PATIDAR
368	VS1472	RITESH RAJPUT
369	VS1473	NEERU YADAV
370	VS1476	MAHENDRA KUMAR SHAKYA
371	VS1478	PRAKRITI SINGH
372	VS1479	KHELENDRA SINGH YADAV
373	VS1481	MANISH SHRIVASTAVA
374	VS1482	ANKIT MESHRAM
375	VS1483	MAYANK SHUKLA
376	VS1484	MAHENDRAPAL SOLANKI
377	VS1485	SWATI KOLI
378	VS1487	RAVI KUMAR SONI
379	VS1489	VINOD KUMAR YADAV
380	VS1491	SEEMA SONGARA
381	VS1492	ANJU SODHI
382	VS1493	AAMRAPALI BHIMTE
383	VS1494	SHEKHAR SINGH CHAUHAN
384	VS1495	ANIL KUMAR YADAV
385	VS1496	PITAMBER INWATI
386	VS1497	JAYVEER SINGH RAJPOOT
387	VS1500	RINKU PENDARKAR
388	VS1501	ASHISH KUMAR DUBEY
389	VS1502	MOHIT GAUTAM
390	VS1504	LAEEK AHMAD KHAN
391	VS1505	DINESH THAKUR
392	VS1507	SHERLY IGNETIOUS
393	VS1508	NARENDRA BHAWRE
394	VS1509	MANOJ KUMAR DEODA
395	VS1510	MANOJ KUMAR URMALIYA
396	VS1511	SADHANA VERMA
397	VS1512	ANURADHA GUPTA
398	VS1513	LOKENDRA SINGH YADAV
399	VS1514	ANJALI GAUTAM
400	VS1515	CHETAN SINGH AVASIYA
401	VS1516	ASHWIN CHOUHAN
402	VS1517	ASHWINI UPADHYA

SL. No.	ROLL No.	NAME
403	VS1518	DIGAMBAR SINGH SHARMA
404	VS1520	DINESH KHARADI
405	VS1521	SHAILJA KANASIYA
406	VS1522	KEDAR PRASAD GUPTA
407	VS1523	SUNIL RATHOR
408	VS1524	UMESH SINGH RAGHUWANSHI
409	VS1525	ARUN KUMAR SHUKLA
410	VS1526	RAGHUBAR DAYAL SINGHAL
411	VS1527	SATVANT SINGH BAGHEL
412	VS1530	SANJEEV YADAV
413	VS1531	AMIT OAD
414	VS1532	NIKITA WASKALE
415	VS1534	VICHAR NEMA
416	VS1538	PREETI LAKHANI
417	VS1540	JYOTI UIKEY
418	VS1541	ANKUR KUMAR UPADHYAY
419	VS1543	SHAILESH SHARMA
420	VS1544	KALPANA PATEL
421	VS1546	LILESH KUMAR TEMBHRE
422	VS1549	PAVAN KUMAR TIWARI
423	VS1550	DEEPAK MEHRA
424	VS1551	RASHMI KULESH
425	VS1552	TARUN BAGHEL
426	VS1553	SANGEETA BHARTI
427	VS1554	VANILA SHUKLA
428	VS1555	BHAGWATI LAL PATIDAR
429	VS1556	GAURAV THORAT
430	VS1557	MD JAMAL
431	VS1558	AKASH SHUKLA
432	VS1559	RESHU VERMA
433	VS1560	POOJA VIKASH JHA
434	VS1561	VIKAS NARAYAN CHAURASIA
435	VS1564	GIRRAJ TIWARI
436	VS1565	NITIN KUMAR KIRAR
437	VS1567	NISHA CHHABRA
438	VS1568	AJEET SINGH YADAV
439	VS1570	MANEESH KUMAR AHIRWAR
440	VS1572	DURGENDRA SINGH
441	VS1574	RAJ KUMAR JAIN
442	VS1575	GAJENDRA UIKEY
443	VS1576	RAJEEV KUMAR SHUKLA
444	VS1578	RAMA GARG
445	VS1579	SACHIN SINGH
446	VS1580	YOGENDRA KUMAR GAUR

SL.No.	ROLL No.	NAME
447	VS1581	BHARTI SHARMA
448	VS1582	DIVYA TIWARI
449	VS1583	RAVINDRA KUMAR SISODIYA
450	VS1584	ASHISH SHARMA

**महत्वपूर्ण टीप:-**

1. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों को साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे
2. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार आयोजित होंगे.
3. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
4. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा.
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

(815-A)

इन्दौर, दिनांक 02 नवम्बर, 2016

विकासखण्ड अधिकारी ऑनलाईन परीक्षा-2016, (सीमित विभागीय परीक्षा) परीक्षा, दिनांक 25 सितम्बर, 2016 (रविवार)

संक्षिप्त समाचार-विज्ञप्ति

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 05 दिसम्बर, 2016 है साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)

वि.क्र.-11940/31/2016/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/2016/22 मार्च, 2016 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत् विकासखण्ड अधिकारी ऑनलाईन परीक्षा-2016 (सीमित विभागीय परीक्षा) के कुल-71 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 मई, 2016 निर्धारित थी. उपरोक्त पद हेतु विकासखण्ड अधिकारी ऑनलाईन परीक्षा-2016 (सीमित विभागीय परीक्षा) परीक्षा दिनांक 25 सितम्बर, 2016 (रविवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर स्थित 04 केन्द्रों पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे. जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये. इस परीक्षा परिणाम में कुल-227 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-128, अनुसूचित जाति-34, अनुसूचित जनजाति-33 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-32 सम्मिलित है. इनमें कुल महिला-04 है. निःशक्तजन व भूतपूर्व सैनिक के पद निरंक है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. विकासखण्ड अधिकारी ऑनलाईन परीक्षा-2016, (सीमित विभागीय परीक्षा) परीक्षा, दिनांक 25 सितम्बर, 2016 (रविवार) के सभी साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि

वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यावाही की जाएगी।

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी। परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

दिनेश जैन,  
परीक्षा नियंत्रक.

(816)

इन्दौर, दिनांक 02 नवम्बर, 2016

विकासखण्ड अधिकारी ऑनलाईन परीक्षा-2016, ( सीमित विभागीय परीक्षा ) परीक्षा, दिनांक 25 सितम्बर, 2016 ( रविवार )

लिखित परीक्षा परिणाम

( साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 05 दिसम्बर, 2016 निर्धारित है साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी )

वि.क्र.-11940/31/2016/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2016/22 मार्च, 2016, अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत विकासखण्ड अधिकारी ऑनलाईन परीक्षा-2016 ( सीमित विभागीय परीक्षा ) के कुल-71 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 मई, 2016 निर्धारित थी. उपरोक्त पद हेतु विकासखण्ड अधिकारी ऑनलाईन परीक्षा-2016 ( सीमित विभागीय परीक्षा ) परीक्षा, दिनांक 25 सितम्बर, 2016 ( रविवार ) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर स्थित 04 केन्द्रों पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त ऑनलाईन परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्र.-11940/31/2016/अनु.-10, दिनांक 02 नवम्बर, 2016 द्वारा घोषित किया गया है. यह परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर देखा जा सकता है.

इस परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये. लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-227 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-128, अनुसूचित जाति-34, अनुसूचित जनजाति-33 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-32, सम्मिलित हैं. इनमें कुल महिला-04 है. निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक के पद निरंक है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. विकासखण्ड अधिकारी ऑनलाईन परीक्षा-2016 ( सीमित विभागीय परीक्षा ) परीक्षा, दिनांक 25 सितम्बर, 2016 ( रविवार ) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईड [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यावाही की जाएगी.
3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी.
4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
5. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.



परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार है:-

**कुल विज्ञापित रिक्तियों की श्रेणीवार वर्गवार संख्या**

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	36	11	14	10	71
क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या	128	34	33	32	227

**BLOCK DEVELOPEMENT OFFICER EXAM - 2016**

POST NAME : BLOCK DEVELOPEMENT OFFICER

EXAM DATE : 25-SEP-2016

**LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR INTERVIEW**

SL. No.	ROLL No.	NAME
1	BD1007	PRATAP SINGH MUVEL
2	BD1013	RAJNEESH KUMAR GARHWAL
3	BD1014	RAJENDRA PRASAD SHUKLA
4	BD1015	LAXMAN SINGH UDDEY
5	BD1016	AMAR SINGH MEHADA
6	BD1017	KRISHNAPAL SINGH BHADORIA
7	BD1018	SUSHILARYA
8	BD1022	GHANSHYAM CARPENTER
9	BD1023	KAILASH CHAND SAHU
10	BD1024	MUKESH KUMAR RANE
11	BD1027	LAXMI NARAYAN
12	BD1029	RAM PRASAD GORCHHIYA
13	BD1030	OM PRAKASH MUKATI
14	BD1031	BHERULAL DANGI
15	BD1032	GOPAL PRASAD BELDAR
16	BD1040	NAFEES AHMAD QUERESHI
17	BD1045	RAMDAS UCHCHARIA
18	BD1051	AMAN KUMAR CHOUDHARI
19	BD1052	RAJESH KUMAR GAUR
20	BD1055	BHOLA SINGH MARAWI
21	BD1063	RADHAKRISHAN RAJPUT
22	BD1064	DEVENDRA KUMAR SONI
23	BD1067	SHARAD CHANDRA RATHORE
24	BD1069	SURESH KUMAR CHOUHAN
25	BD1074	PRADEEP KUMAR BHAWSAR
26	BD1076	CHOKHE LAL SHAKYA
27	BD1079	KAILASH BARVE
28	BD1082	OM PRAKASH BODNIYA
29	BD1083	SURESH KUMAR INDORKAR
30	BD1084	RAM BABU GUPTA
31	BD1088	BHAGIRATH PRASAD TIWARI
32	BD1095	OMPRAKASH RATHORE

SL. No.	ROLL No.	NAME
33	BD1100	SHANKAR LAL KURELE
34	BD1103	ARVIND KUMAR BORKAR
35	BD1104	RAMPRAKASH ARYA
36	BD1105	PRABHU TOPPO
37	BD1106	TILOKCHAND SONI
38	BD1107	MAN SINGH THAKUR
39	BD1108	RAMESH KUMAR ROHAN
40	BD1112	JAGDISH PATIDAR
41	BD1117	ANIL KUMAR BHATNAGAR
42	BD1118	PRAHLAD KORI
43	BD1124	SATISH DUTT SHARMA
44	BD1125	ASHA CHOUHAN
45	BD1126	SANTOSH KUMAR CHHATRIYA
46	BD1127	RAMESH PRASAD NAMDEO
47	BD1128	ASHOK KUMAR PATHIK
48	BD1129	VER SINGH MUJALDA
49	BD1131	SUKHADEV PATIDAR
50	BD1133	SALEEM KHAN
51	BD1137	SURENDRA PRASAD TIWARI
52	BD1138	KALKA PRASAD NIRANJAN
53	BD1139	DYAL SINGH PUSAM
54	BD1141	RAJENDRA KUMAR SIHOTIYA
55	BD1144	KARTAR SINGH KAMLE
56	BD1148	MADAN LAL RATHORE
57	BD1151	CHHEDI PRASAD SAKET
58	BD1157	LAXMI PRASAD AHIRWAR
59	BD1162	BHAGWAN SINGH
60	BD1169	PAVAN KUMAR JAIN
61	BD1172	PRAVEENGOUR
62	BD1173	BAIJNATH SINGH YADAV
63	BD1175	JAMNA PRASAD MALVIYA
64	BD1177	RAJENDRA KUMAR SURYA
65	BD1178	KESHRI PRASAD ROHIT
66	BD1179	AMRIT RAJ SISODIYA
67	BD1181	ANANDRAM YADAV
68	BD1182	MOTE SINGH SOLANKI
69	BD1183	INDER SINGH PATEL
70	BD1184	ARUN KUMAR BAJPAI
71	BD1185	ISHWAR SINGH ORKE
72	BD1189	LALIT KUMAR CHOUDHARI
73	BD1192	BRAJ KISHOR SHARMA
74	BD1195	ASHOK KUMAR GANGIL
75	BD1196	RADHE SHYAM DABARIYA
76	BD1204	GOVIND SINGH PAIKRA

SL.No.	ROLL No.	NAME
77	BD1208	SHAMBHU DAYAL SHARMA
78	BD1209	SHYAMLAL TEGORE
79	BD1210	BASANT KUMAR TIWARI
80	BD1212	ASHOK KUMAR BACHLE
81	BD1219	GIRDHAR KUMAR AGRAWAL
82	BD1222	SHYAM SUNDAR BHATNAGAR
83	BD1225	ASHOK KUMAR SHARMA
84	BD1227	RAJESH BAHETI
85	BD1229	SUBHASH SINGH
86	BD1230	HARISH KUMAR ASTOLIA
87	BD1233	ASHOK KUMAR DUBEY
88	BD1234	LALSINGH KHARTE
89	BD1236	BALADEEN AHIRWAR
90	BD1237	SANJAY KUMAR DEHARIYA
91	BD1242	NARENDRA KUMAR RICHHARIYA
92	BD1243	ANOKCHAND BIRLA
93	BD1244	RAJENDRA KUMAR GUPTA
94	BD1246	PRAMOD KUMAR KHARE
95	BD1247	MUNNA LAL AHIRWAL
96	BD1248	RAVINDRA BABOO GUPTA
97	BD1253	NAN SINGH CHOUHAN
98	BD1254	RAM LAKHAN PATEL
99	BD1256	KAUSHAL KISHORE BISWARI
100	BD1260	JAGDISH NIRGUDE
101	BD1262	VINOD KUMAR JAIN
102	BD1269	CHHOTE LAL KABIRPANTHI
103	BD1271	GOURI SHANKER DEHARIYA
104	BD1273	JAIVARDHAN SIGNH BHADORIA
105	BD1275	KAILASH CHANDRAARYA
106	BD1277	GULAB SINGH DAMOR
107	BD1281	RAJESH PATHAK
108	BD1283	MUSTAQEEM MOHAMMAD KHAN
109	BD1286	DINESH KUMAR JANAWADE
110	BD1289	AJEET SINGH
111	BD1296	PREM DAS BHALADHARE
112	BD1297	DINESH KUMAR SHARMA
113	BD1299	PUSHPA VERMA
114	BD1301	BRIJ SEN SOLANKI
115	BD1302	BIPIN KUMAR SHRIVASTAVA
116	BD1304	JAGESHWAR THEPE
117	BD1309	OMPRAKASH MALVIYA
118	BD1310	ANAND KUMAR XESS
119	BD1311	SUNIL LAHORIYA
120	BD1313	GAJRAJ SINGH THAKUR

SL. No.	ROLL No.	NAME
121	BD1314	RAM DAYAL MOURYA
122	BD1316	JULAL PATEL
123	BD1318	HARIGYAN SINGH KIRAR
124	BD1321	AMOL SINGH MEHRA
125	BD1324	NIRBHAY SINGH CHAUHAN
126	BD1328	CHANDRA PRAKASH RAI
127	BD1333	RAM VARAN SHARMA
128	BD1334	CHANDAN LAL DAHARWAL
129	BD1335	BALAK DAS VISHINEYA
130	BD1339	BAL KRISHANA PARASTE
131	BD1342	BHARAT SINGH CHOUHAN
132	BD1343	RAJBHAN SINGH
133	BD1346	BALBIR SINGH KUSHWAH
134	BD1347	DIWAKAR PRATAP SINGH
135	BD1350	NARAYAN PATIL
136	BD1356	LOKNATH KORI
137	BD1357	SITARAM BAROD
138	BD1358	MUNSHI LAL DHURVE
139	BD1359	SUDAMA PRASAD CHOURASIA
140	BD1361	RAMESH CHANDRA SHARMA
141	BD1363	ABDUL RAJJAK KHAN
142	BD1365	LAXMANSINGH RATHORE
143	BD1367	HEMANT KUMAR SUTRAKAR
144	BD1369	RADHEYSHYAM WARIWEY
145	BD1370	KAILASH NARAYAN SONI
146	BD1377	DEVENDRA BARADIYA
147	BD1380	SHALIG RAM MISHRA
148	BD1386	SANJAY NARSINGH JOSHI
149	BD1393	MUKESH KUMAR JOSHI
150	BD1395	BHARTI DIXIT
151	BD1399	NATHUSINGH SOLANKI
152	BD1402	ARVIND KUMAR CHATURVEDI
153	BD1403	OMPRAKASH SINGH KAURAV
154	BD1405	JAGDISH PRASAD DIWAN
155	BD1407	RAJENDRA KUMAR SHARMA
156	BD1408	SANTOSH MANDLIK
157	BD1417	BHUPENDRA KUMAR HUNDET
158	BD1418	RAJESH KUMAR SANT
159	BD1423	MOHAN SINGH GAWALI
160	BD1425	CHANDRAKANT SINGH
161	BD1428	RAJENDRA KUMAR MANIKPURI
162	BD1433	KANHAI KUWAR
163	BD1437	RAKESH KUMAR AGRAWAL
164	BD1440	SUDAMA PRASAD GARG

SL. No.	ROLL No.	NAME
165	BD1441	ANTAR SINGH DAWAR
166	BD1443	SHIV DAYAL KANJAR
167	BD1446	INDAR SINGH PARMAR
168	BD1449	BAJU SINGH MANDLOI
169	BD1450	RAMAKANT SHARMA
170	BD1456	AFSAR KHAN
171	BD1459	GANARAM KATRE
172	BD1460	KAMAL KUMAR BATHAW
173	BD1471	RAMBAHADUR SINGH
174	BD1476	OMPRAKASH LAVRE
175	BD1485	GYANENDRASINGH
176	BD1487	BHOOR SINGH CHOUHAN
177	BD1490	RATAN SINGH BARDE
178	BD1491	SURENDRA KUMAR KHARE
179	BD1492	UMESH CHANDRA NAGWANSHI
180	BD1494	SURESH KUMAR MISHRA
181	BD1496	KISHAN LAL BARGIYA
182	BD1499	PURSHOTTAM WANJARI
183	BD1500	GOURI SHANKER DUBEY
184	BD1501	JAGDISH PRASAD DAMDEY
185	BD1504	GUMAN SINGH MUJHALDA
186	BD1506	JYOTISH KUMAR PARMAR
187	BD1510	SHIVNATH YADAV
188	BD1512	MANSOOR AHMAD
189	BD1513	RAMSINGH MALVIYA
190	BD1517	RAMPRAKASH MISHRA
191	BD1519	DALCHAND JAIN
192	BD1520	NATWAR LAL YADAV
193	BD1524	RAJKUMAR SHARMA
194	BD1525	OMPRAKASH SHARMA
195	BD1527	SWAYAMPRAKASH SINGH KUSHWAH
196	BD1528	HARIRAM ROSHAN
197	BD1529	UMESH KUMAR TANTUWAY
198	BD1530	MAHADEV PATIDAR
199	BD1531	RANJEET SINGH PACHLASIA
200	BD1533	ASHWANI KUMAR PATHAK
201	BD1534	BASUDEV SINGH BHADORIYA
202	BD1537	ANIL XALXO
203	BD1540	RAJJAN SINGH TOMAR
204	BD1544	NAVAL KISHORE PATHAK

SL.No.	ROLL No.	NAME
205	BD1555	VINOD BHAWSAR
206	BD1557	KANHAIYALAL PANWAR
207	BD1559	ANIL KUMAR SONI
208	BD1561	JUGAL KISHOR SHAKYA
209	BD1564	JANABED SINGH YADAV
210	BD1566	SHANTARAM PATIDAR
211	BD1569	KEDAR LAL SHAKYA
212	BD1570	THAN SINGH SUMAN
213	BD1571	ANEES KHAN
214	BD1572	TAM SINGH UIKEY
215	BD1573	TAJUDDIN KHAN
216	BD1576	SUBHASH CHOUDHARY
217	BD1585	RAJESH KUMAR GAUTAM
218	BD1587	BHAG CHAND TIMHARIYA
219	BD1589	KIRAN PRAJAPATI
220	BD1601	LILADHAR INGLE
221	BD1603	DEWA PARMAR
222	BD1604	KAILASH SINGH BAGHEL
223	BD1605	SANJAY PALKAR
224	BD1608	SANTSHARAN RATHOR
225	BD1611	ANIL KUMAR SHRIVASTAVA
226	BD1615	KESHAV PRASAD TWIVEDI
227	BD1616	PAWAN KUMAR SHAH

#### महत्वपूर्ण टीप:-

1. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे।
2. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार आयोजित होंगे।
3. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

दिनेश जैन,  
परीक्षा नियंत्रक.

## विविध

### निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर, 2016

क्रमांक जी. बी. चार/पेपर (के-11) 2016-17/2978.—ऐसे प्रिण्टर्स एवं डायरी निर्माता जो मुद्रण और डायरी के विनिर्माण उत्पादन का पर्याप्त अनुभव रखते हों, 20 करोड़ रुपये का टर्न ओव्हर हो एवं एक वर्ष में 1.4 करोड़ रुपये की डायरी निर्माण का एकल आदेश प्राप्त किया हो, से मध्यप्रदेश शासन की डायरी-2017 प्रदाय किये जाने हेतु आई. टी. विभाग की वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 तक अपराह्न 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

2. ई-टेण्डरिंग में प्रस्तुत तकनीकी भाग की हार्ड कॉपी key-dates अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 अपराह्न 13.00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना होगा. ई-टेण्डरिंग का तकनीकी भाग एवं हार्ड कॉपी के लिफाफे दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 को अपराह्न 14.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

(817)

Bhopal, Dated 21<sup>st</sup> November, 2016

### TENDER NOTICE

No. GB-IV/Diary/(K-11)/2016-17/2978.—ONLINE Bidding are invited through IT Department website <https://www.mpeproc.gov.in> for Printing and Supply of Madhya Pradesh Government Diary-2017 from the printers and Diary manufacturers who have sufficient experience of printing and manufacturing of Diaries with production facilities and have annual turnover of Rs. 20 Crores and have essentially obtained and executed at least on single order of manufacturing cost of one crore forty lakhs of Diaries's printing in a year, shall only be eligible for submitting Online Tender on or before 12-12-2016 up to 12:00 PM.

2. In all respects hard copy of technical tender document must be recieved at the office of undersigned latest by 13:00 PM on 12-12-2016 as per key-dates. Online opening of the Technical Tender and Hard Copy of the same will be opened on 12-12-2016 at 14:00 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenders or their authorised representatives as may be present.

(817-A)

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर, 2016

क्रमांक जी. बी. चार/पेपर (के-11) 2016-17/2979.—मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में पंजीकृत मुद्रकों, जिल्दसाजों से ग्रुप ए, बी, सी एवं डी की आवश्यक अर्हता की पूर्ति करने वाले निविदाकारों से सचित्र कैलेंडर एवं अन्य सामग्री को पेपर सहित मुद्रण कर प्रदाय करने हेतु आई. टी. विभाग की वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 अपराह्न 12 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

2. मध्यप्रदेश शासन के वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र एवं शर्तों को अवलोकनार्थ रखा गया है।

3. ई-टेण्डरिंग में प्रस्तुत तकनीकी भाग की हार्ड कॉपी की डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 को अपराह्न 13:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा. ई-टेण्डरिंग का तकनीकी भाग एवं हार्ड कॉपी के लिफाफे एवं निविदाकार द्वारा प्रस्तुत नमूनों को दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 अपराह्न 14:00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा।

(817--B)

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर, 2016

### अल्पावधि निविदा सूचना

क्रमांक जी. बी. चार/पेपर (पी-1) 2016-17/2984.—ऑनलाईन बिडिंग <https://www.mpeproc.gov.in> पर ई-टेण्डर से तकनीकी

एवं कॉमर्शियल निविदा दिनांक 30 नवम्बर, 2016 अपरान्ह 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रिंटिंग एवं अन्य सामग्री का क्रय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा के लिये आमंत्रित की जाती हैं।

2. टेण्डर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाइट [www.govt.pressmp.nic.in](http://www.govt.pressmp.nic.in) पर अवलोकन किया जा सकता है।

3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्डकॉपी एवं नमूने सूची सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा. ऑनलाईन निविदा एवं हार्ड कॉपी की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थिति निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

(817-C)

Bhopal, Dated 21<sup>st</sup> November, 2016

### SHORT TENDER NOTICE

(Printing Articles)

No. GB-IV-Printing(1)2016-17/2984.—*Online Bidding go through IT Department Portal <https://www.mpeproc.gov.in> and Sealed Technical & Commercial E-Tenders are invited on or before 2.00 PM on 30-11-2016 as per Key-Dates from the manufacturers or their Agents/Authorised Dealers for the supply of various types of Printing materials for the Govt. Printing Press, Bhopal, Gwalior, Indore and Rewa.*

2. Tender Document and agreement details of tender are also available at website [www.govt.pressmp.nic.in](http://www.govt.pressmp.nic.in).

3. In all respects Hard Copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealed) must be received at the Office of the undersigned as per key dates. Envelope 'A' Hard Copy of Technical Tender will be opened ONLINE as per key dates in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or thier authorised representatives as may be present.

4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on <https://www.mpeproc.gov.in>.

VILAS MANTHANWAR,  
Deputy Controller,  
For Controller,  
Govt. Printing and Stationery,  
M. P. Bhopal.

(817-D)

## न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (ग्रामीण), रतलाम

क्रमांक01/बी-113(1)/2016-17.

रतलाम, दिनांक 07 नवम्बर, 2016

फार्म-4

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 (2) के तहत]

क्र.19/आर-3/2016.—आवेदक अध्यक्ष, रमेशरलाल पिता रतनलाल राठौड, निवासी सिमलावदा एवं अन्य के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत "ग्राम कमेड में संत कबीर भेदवाणी सतसंग ट्रस्ट कमेड, तह. रतलाम" के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रूचि हो अथवा आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।



## पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

न्यास का पूरा नाम	:	“संत कबीर भेदवाणी सतसंग ट्रस्ट कमेड”
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम कमेड में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 434 रकबा 0.400 हे. भूमि.
चल सम्पत्ति	:	61000/-

## परिशिष्ट-अ

संत कबीर भेदवाणी सतसंग ट्रस्ट कमेड, तहसील व जिला रतलाम.

चल सम्पत्ति:-

क्रमांक	विवरण	रुपये
1.	भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कमेड, जिला रतलाम म.प्र.	11,000/- (ग्यारह हजार)
2.	1 पलंग पेटी, 1 लकड़ी का सौफा सेट, 1 लकड़ी का पलंग, 1 लोहे का पलंग, 4 पंखे, 1 कुलर, 8 जोड बिस्तर, किचन के वर्तन, गैस व टंकी, समस्त चल सम्पत्ति कीमत:	50,000/-
कुल सम्पत्ति:		61,000/- (इकसठ हजार)

## परिशिष्ट-ब

संत कबीर भेदवाणी सतसंग ट्रस्ट कमेड, तहसील व जिला रतलाम.

अचल सम्पत्ति:-

- ग्राम कमेड, तहसील व जिला रतलाम पटवारी हल्का नम्बर 42, सर्वे नम्बर 434, रकबा 0.400 की भूमि जो रामलाल पिता भेरूलालजी राठोड, निवासी कमेड द्वारा दान में दी है.

नेहा भारतीय,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(786)

## अन्य सूचनाएं

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	विनायक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., नागदा	1569/02-07-2001

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 22 अगस्त, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49 (7-ख) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया, प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया और न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	विनायक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., नागदा	1569/02-07-2001	श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक.....को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,  
उप-पंजीयक.

(782-B)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1567.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुडिया देव, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 270, दिनांक 17 जनवरी, 1984 को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014//937, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-15-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुडिया देव, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(783)

आगर मालवा, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1568.—सहकारी प्रशिक्षणालय सहकारी समिति मर्या., आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 275, दिनांक 07 जनवरी, 1956 को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016//551, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-15-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सहकारी प्रशिक्षणालय सहकारी समिति मर्या., आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. गौर,  
उप-पंजीयक.

(783-A)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 व 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1835.—आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., अम्बाह, जिसे आगे संस्था कहा गया है की शिकायत प्राप्त होने पर

कार्यों व अस्तित्व की जांच हेतु कलेक्टर मुरैना द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग अम्बाह से कराई गयी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बाह द्वारा अपना प्रतिवेदन इस निष्कर्ष के साथ भेजा गया कि, संस्था लम्बे समय से अकार्यशील होने, अपने सदस्यों के स्थान पर केवल कुछ ही सदस्यों के हित वर्धन हेतु कागजी तौर पर होने के आधार पर संचालित है। कलेक्टर मुरैना द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर अपने पत्र क्रमांक 3422, दिनांक 17 सितम्बर, 2009 से संस्था का पंजीयन तत्काल निरस्ती हेतु निर्देश दिये गए।

कलेक्टर मुरैना द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों व संस्था की वर्ष 2008-09 की अंकेक्षण टीप के परीक्षण उपरान्त प्रथम दृष्ट्या निम्नानुसार स्थिति पाई गई-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बाह व नायब तहसीलदार अम्बाह द्वारा शिकायत की जांच के दौरान स्थल निरीक्षण में पाया है कि, संस्था द्वारा विगत 15-20 वर्षों से कोई कार्य नहीं किया गया है। संस्था को आवंटित भूमि सर्वे क्रमांक 1075 मिन-2 रकबा 0.052 हैक्टेयर गड्डे के रूप में अस्तित्व में है, मौके पर बनाए गए पंचनामे के अनुसार लगभग 15-20 वर्षों से संस्था में कोई कार्य नहीं हुआ है। उक्त क्षेत्र में बुनकर/हथकरघा का कार्य करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहता और ऐसी कोई गतिविधि इस क्षेत्र में नहीं होती और न ही जांच के दौरान संस्था की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है कि, संस्था का अस्तित्व मात्र कुछ व्यक्तियों के हित सम्बर्धन हेतु कागजी रूप में बनाया हुआ है तथा संस्था ने अपना कार्य बंद कर दिया है।

2. संस्था की अंकेक्षण टीप वर्ष 2008-09 में वर्णित अंकेक्षण आपत्ति संस्था द्वारा गत अंकेक्षण आक्षेपों का पालन नहीं किया गया है, अंकेक्षण के पत्र संस्था द्वारा वित्तीय पत्रकों में वर्णित पत्रकों में वर्णित अनुसार वर्ष में किये गए कार्यों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, से प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट हुआ कि, संस्था मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 सहपठित नियम-1962 व संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का पालन करने हेतु उपेक्षावान है।

उक्त स्थिति होने पर कार्यालयीन पत्र क्र./परि./09/898, दिनांक 23 सितम्बर, 2009 संस्था को सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत जारी कर 15 दिवस में उत्तर चाहा गया।

संस्था द्वारा उक्त सूचना-पत्र के विरुद्ध न्यायालय आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल ने प्रकरण क्रमांक 80 (क)-179/09 निगरानी दायर की गयी। निगरानी माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27 मई, 2016 से समाप्त की गई है।

संस्था का वर्ष 2013-14 का अंकेक्षण करने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/आडिट/1001, दिनांक 03 जून, 2015 से श्री ओ. एन. शर्मा (अंकेक्षण अधिकारी) को आवंटित किया गया। अंकेक्षक श्री ओ. एन. शर्मा द्वारा रजिस्ट्रीकृत डाक से अंकेक्षण का कार्यक्रम संस्था अध्यक्ष को भेजा गया, जो पंजीकृत पते पर संस्था के न होने से कार्यालय में वापिस प्राप्त हुआ पुनः दिनांक 29 जुलाई, 2015 को अंकेक्षक श्री ओ. एन. शर्मा अम्बाह संस्था के अंकेक्षण हेतु गए परन्तु मोके पर कहीं भी संस्था का कोई अता-पता नहीं मिला, और न ही संस्था का कोई पदाधिकारी मिला। अतः संस्था का कोई अता-पता नहीं होने, संस्था पूर्णतः बंद रहने, निष्क्रिय रहने, अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने व ऑडिट न कराने से अंकेक्षक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाए जाने की अनुशांसा की गई।

संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/2321, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 से पुनः सूचना-पत्र जारी किया गया जिसके उत्तर में संस्था की ओर से पत्र दिनांक 10 मई, 2015 संस्था अध्यक्ष श्रीराम को प्राप्त हुआ, जिसमें रिकार्ड तैयार होना बताया गया। पत्र के साथ वित्तीय पत्रक वर्ष 2013-14, 14-15 जो संलग्न किये गए हैं उसमें संस्था की पंजीकृत उपविधियों के विपरीत बुनकर का कार्य न दर्शा कर सूप, डलिया व झाड़ू क्रय करना एवं सूप डलिया रस्सी विक्रय करना दर्शाया है। वित्तीय पत्रकों में झाड़ू क्रय करना दर्शाई गई है, जबकि बिक्री होना नहीं दर्शाया गया है एवं रस्सी क्रय होना नहीं दर्शाई गई है, जबकि बिक्री होना दर्शाया गया है। वित्तीय पत्रकों में झाड़ू क्रय का शेष स्टॉक भी नहीं है। अतः स्पष्ट है कि, वित्तीय पत्रकों में दर्ज खरीद बिक्री आधारहीन है। संस्था का मौके पर कोई अस्तित्व न मिलने से अंकेक्षण कार्य वर्ष 2013-14 से आज भी लम्बित है।

न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 80 (क)-179/90 में अपने आदेश दिनांक 27 मई, 2016 से निगरानी समाप्त करने से इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत संस्था के संचालक मण्डल को पत्र क्रमांक/परि./2016/1123, दिनांक 30 जून, 2016 जारी कर अपना पक्ष समर्थन हेतु दिनांक 07 जुलाई, 2016 नियत कर सूचना-पत्र कार्यालय के भृत्य श्री विवेके बंसल के हस्ते तामील हेतु भेजा गया। भृत्य को मौके पर संस्था का कोई अस्तित्व नहीं मिला। विपणन सहकारी संस्था अम्बाह में भृत्य के जाने पर विपणन संस्था के अध्यक्ष श्री रामकुमार शर्मा मिले। भृत्य की टीप अनुसार श्री बेनीराम संचालक की प्रति स्वयं प्राप्त की एवं हस्ताक्षर बेनीराम के किये एवं श्रीमती मनोरमा शर्मा संचालक की प्रति अध्यक्ष की पत्नी होने के तौर पर प्राप्त कर स्वयं हस्ताक्षर किये। शेष कोई संचालक मौके पर नहीं मिला।

पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि.2016/1734, दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था के संचालक मण्डल को पंजीकृत डाक से निवास के पतों पर सुनवाई हेतु दिनांक 22 अक्टूबर, 2016 नियत कर संस्था में कारोबार का ब्यौरा व स्वयं के बुनकर होने का प्रमाण संस्था की मूल सदस्य पंजी, मूल उपनियम लेकर उपस्थित होने हेतु व सुनवाई हेतु भेजा गया, जिसमें से 5 संचालक श्री मुन्नालाल पुत्र श्री रामचरण, श्री सियाराम पुत्र श्री फैलीराम, श्री रामजीत पुत्र श्री जौहरी प्रसाद व श्री श्रीराम पुत्र श्री हरदयाल एवं श्रीमती हरिया, पत्नी के सूचना-पत्र पते पर निवास न करने से वापस कार्यालय को प्राप्त हुए। शेष

4 संचालक श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी श्री रामकुमार शर्मा, श्री बेनीराम, पुत्र श्री जनवेद श्री रामअवतार पुत्र श्री बदले प्रसाद एवं श्री रामनरेश पुत्र श्री पूजाराम के सूचना-पत्र कार्यालय को वापिस प्राप्त नहीं होने से तामिली हुए. नियत दिनांक 22 अक्टूबर, 2016 को कोई भी संचालकगण कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और ना ही कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया.

इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि, संस्था पर लगाए गए आरोप सत्य हैं, जो स्वीकार हैं, संस्था अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहती हैं. अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 व 70 में प्रदत्त शक्ति जो मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5 जनवरी, 1999-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., अम्बाह, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./एम.एन.ए./423, दिनांक 29 सितम्बर, 1976 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था का परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी अम्बाह को नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि सहकारिता अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की अस्तियों व दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 को जारी किया गया.

आर. सी. शर्मा,

उप-पंजीयक.

(787)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ भवानी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर	1362	832/16-03-2016
2.	शिव प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर	1363	1144/22-04-2016
3.	नेहा प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर	1645	1146/22-04-2016
4.	दि इश्योरेंस गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	56	963/31-03-2016
5.	राहुल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	63	1944/29-07-2016
6.	दि शारदा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	69	1945/29-07-2016

अतः मैं, व्ही. के. तिवारी, व. स. नि. एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

व्ही. के. तिवारी,

वसनि एवं परिसमापक.

(788)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा

निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महात्मा गाँधी सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1880	829/16-03-2016
2.	माँ नर्मदा नौका बिहार कामगार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1811	847/17-03-2016

अतः मैं, के. एल. पारोची, अंके. अधिकारी एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

के. एल. पारोची,  
अंकेक्षण अधिकारी.

(789)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	नर्मदा चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	510	क्र./उपज/परिसमापन/2015/ 848/17-03-2016
2.	वस्त्र कला उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	371	825/16-03-2016

अतः मैं, रघुनाथ कुंदोलिया, स. नि. एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

रघुनाथ कुंदोलिया,  
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(790)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर**

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
			क्र./उपज/परिसमापन/
1.	श्रीमान् हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	528	2015/846/17-03-2016
2.	माँ नर्मदा कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	863	2015/845/17-03-2016

अतः मैं, कृ. उषा कापसे, व. स. नि. एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

उषा कापसे,

वसति एवं परिसमापक.

(791)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर**

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	आशीर्वाद लोहा एवं काष्ठ कला सहकारी समिति मर्या., बरगी	578	844/17-03-2016

अतः मैं, एन. सी. सोनी एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

एन. सी. सोनी,

उपअंके. एवं परिसमापक.

(792)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर**

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	द भारत गृह निर्माण सह., जबलपुर	1487	2735/09-11-2015
2.	प्रतिमा एस. बी. आई. गृह निर्माण, जबलपुर	82	2735/09-11-2015
3.	जानकी गृह निर्माण सहकारी, जबलपुर	166	333/05-02-2016
4.	एस. बी. आई. गृह निर्माण, जबलपुर	90	1931/29-07-2016

अतः मैं, अरुण कुमार श्रीवास्तव एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

अरुण कुमार श्रीवास्तव,  
परिसमापक.

(793)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर**

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	अंबिका प्राथ. उप. सह. मण्डार मर्या., जबलपुर	1218	1933/29-07-2016
2.	न्यू मयूर प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर	1202	1943/29-07-2016

अतः मैं, के. के. तिवारी, उप-अंकेक्षण एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(794)

के. के. तिवारी,

उप-अंके. एवं परिसमापक.

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला जबलपुर**

दिनांक 22 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर, के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई तथा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	एस. बी. आई. सुपरवाइजर आफिसर्स गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर.	61	1433/30-12-2012
2.	प्रेमबिहार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	232	1755/25-07-2016
3.	दिगम्बर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	225	1777/25-07-2016
4.	अर्पण गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	226	1776/25-07-2016
5.	सम्मोहन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	220	1940/29-07-2016
6.	मादोताल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1273	1661/06-07-2016
7.	माँ खेरमाई प्रा. उपभोक्ता भण्डार मर्या., जबलपुर	1411	1662/06-07-2016
8.	जनहित प्रा. उपभोक्ता भण्डार मर्या., जबलपुर	1430	1770/25-07-2016
9.	माँ शक्ति प्रा. उपभोक्ता भण्डार मर्या., जबलपुर	1329	1769/25-07-2016
10.	अरिहन्त प्रा. उपभोक्ता भण्डार मर्या., जबलपुर	1306	1768/25-07-2016
11.	जी. सी. एफ. हाई स्कूल प्राथ. उपभोक्ता भण्डार मर्या., जबलपुर	1307	1934/29-07-2016
12.	न्यू हिना प्रा. उपभोक्ता भण्डार मर्या., जबलपुर	1321	1935/29-07-2016

अतः मैं, राजेश परोहा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(795)

राजेश परोहा,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर**

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा



निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला उत्थान प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर	1244	1936/29-07-2016
2.	कर्मवीर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर	1253	1932/29-07-2016

अतः मैं, गीतांजली सेन, सह. निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

गीतांजली सेन,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(796)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	कामधेनू औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., गुप्तेश्वर जबलपुर	1950	849/17-03-2016
2.	भाग्यश्री महिला रेडीमेड गारमेंट औद्यो. सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1908	891/21-03-2016
3.	भारतीय प्रिंटिंग प्रेस एवं मुद्रण वा. उ. सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	17एन	892/21-03-2016
4.	स्वराज मुद्रणकला एवं पब्लि. औद्यो. सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	298	887/21-03-2016
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलखेड़ा	891	454/17-02-2016
6.	बाबू कमला गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	187	851/17-03-2016
7.	संस्कारधानी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1878	852/17-03-2016
8.	देशबंधुगृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1455	2065/12-08-2015

अतः मैं, सोनीलाल गोड़, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

सोनीलाल गौड़,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(797)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	हिन्द चर्म सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1713	831/16-03-2016
2.	भीम चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., रमपुरीकला	1621	833/16-03-2016
3.	कल्याणी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डबरकला	1931	2681/04-11-2015

अतः मैं, माया मालिनी ऐंथोनी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध हैं उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

माया मालिनी ऐंथोनी,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(798)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	गणेश प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर	1347	472/17-02-2016

अतः मैं, श्रीमती हेमलता डोगर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण

सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

हेमलता डोगर,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(799)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	शा. उ. मा. शा. प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., सिहोरा	231	469/17-02-2016
2.	मध्य रेल्वे वेंडर्स काम. सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	649	889/21-03-2016
3.	इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	536	853/17-03-2016
4.	जबलपुर माइनिंग उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	594	850/17-03-2016
5.	शक्ति ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस औधो. सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	11	888/21-03-2016
6.	सौभाग्य ड्राइंग एवं प्रिंटिंग प्रेस सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1717	890/21-03-2016

अतः मैं, ललित जैन, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

ललित जैन,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(800)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा

निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	गाँधी चर्म शिल्प उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	212	463/17-02-2016
2.	जय अम्बे हॉकर्स सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1431	462/17-02-2016
3.	संजीवनी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	114	465/17-02-2016

अतः मैं, टी. आर. विदेही, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

टी. आर. विदेही,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(801)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	जीवनदीप गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	92	2063/12-08-2015
2.	न्यू इंडिया टायर रिमोल्टिंग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	226	464/17-02-2016
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रौंसरा	886	456/17-02-2016
4.	छत्रपति शिवाजी साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	925	458/17-02-2016
5.	विकास बचत साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1859	473/17-02-2016
6.	सियाराम बचत साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1862	457/17-02-2016
7.	मध्य भारतीय साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1858	459/17-02-2016
8.	लक्ष्मी नारायण साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	628	470/17-02-2016
9.	समता सिलाई बुनाई सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	787	1938/29-07-2016
10.	प्रियदर्शिनी पि. वर्ग महिला काम. सह. समिति मर्या., जबलपुर	1577	1773/25-07-2016
11.	गोल्डन स्टार इंजी. उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	727	1929/29-07-2016
12.	रोजी फ़ैब्रीकर्स एवं वुडन फर्नी. उद्योग सहकारी स. मर्या., जबलपुर	1825	1928/29-07-2016

अतः मैं, आशीष शुक्ला, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

आशीष शुक्ला,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(802)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/संस्थाएं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री राम बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., सुन्दरादेही शहपुरा	2056	367/11-02-2016
2.	श्री बलराम बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पिपरियाकला	2094	369/11-02-2016
3.	स्वतंत्र बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., डुडवारा	2112	370/11-02-2016
4.	माँ रेवा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., सिहोदा	2099	361/11-02-2016
5.	उत्कर्ष बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मगरमुहा	2086	362/11-02-2016
6.	श्री सीताराम बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., फूलर	2084	363/11-02-2016
7.	सहयोग बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., फूलर	2083	364/11-02-2016
8.	रेवा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., सुनवारा	2057	365/11-02-2016
9.	रामराजा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., परसिया	2085	366/11-02-2016
10.	श्री गणेश बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., जमुनिया	2082	368/11-02-2016

अतः मैं, एम. एल. जैन, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एम. एल. जैन,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(803)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर**

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादन सहकारी समिति मर्या., सुनवारा	894	453/17-02-2016

अतः मैं, राजेश मेहता, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

राजेश मेहता,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(804)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर**

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला जागरण हाथकरघा बुनकर सह. समिति मर्या., जबलपुर	569	828/16-03-2016

अतः मैं, श्रीमती शैला डेकाटे, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

शैला डेकाटे,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(805)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर**

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	फ्रेंड्स क्रेडिट सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	461	961/31-03-2016
2.	संकटमोचन साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	503	959/31-03-2016
3.	विनोबाभावे साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	576	960/31-03-2016
4.	कर्मवीर महिला श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1321	962/31-03-2016
5.	गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	2166	2166/28-08-2015
6.	निरंजन खनिज उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1469	1143/22-04-2016

अतः मैं, मोहन ताम्रकार, वसनि एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

मोहन ताम्रकार,

वसनि एवं परिसमापक.

(806)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर**

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	रांझी साग सब्जी सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1672	461/17-02-2016

अतः मैं, टी. आर. कोरी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी

चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

टी. आर. कोरी,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(807)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनकेड़ी शहपुरा	883	455/17-02-2016
2.	जवाहरलाल नेहरू कृषि वि. वि. कर्म. गृह निर्माण सह. समिति मर्या., जबलपुर	42	452/17-02-2016

अतः मैं, विवेक जैन, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

विवेक जैन,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(808)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	नव प्रभात गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	24	1660/06-07-2016

अतः मैं, प्रशांत कौरव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय



उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

प्रशांत कौरव,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(809)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	हिन्द चर्म सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1713	956/31-03-2016
2.	जनकलली बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरहा	2080	2795/26-11-2015
3.	मोती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डगडगाहिनौता	2067	2794/26-11-2015
4.	माँ त्रिपुरी सुंदरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडुआ	2065	2793/26-11-2015
5.	स्वराज बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहोरीपाट मोहास	2078	2792/26-11-2015
6.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुकरी	2076	2787/26-11-2015
7.	पारस बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्हनी देवरी	2081	2786/26-11-2015
8.	ऋषी दादाजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरेला	2088	2791/26-11-2015
9.	राधाकृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंदरकोला सगड़ा	2113	2796/26-11-2015
10.	अमृत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पुरवाबम्हनी	2114	2789/26-11-2015
11.	श्री दादा ठनठनपाल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौतिया	2089	2785/26-11-2015
12.	माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरगी	2079	2788/26-11-2015
13.	माँ दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रीमा	2066	2790/26-11-2015

अतः मैं, राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

राजेन्द्र यादव,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(810)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	विपणन सहकारी समिति मर्या., पाटन	1022	966/31-03-2016
2.	चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., मुड़िया	1463	467/17-02-2016
3.	चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सहसन	1471	468/17-02-2016
4.	सद्गुरू बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विनेकी	2081	1465/27-06-2015
5.	श्री साईं बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरौंदाखेड़ी	2115	1829/20-07-2015
6.	जय किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उड़ना	1891	2484/07-10-2015
7.	विनायक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुकरमुका	2096	2487/07-10-2015
8.	जय बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लोहारी	2054	2488/07-10-2015
9.	माँ नाहनदेवी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ककरेहटा	2050	2489/07-10-2015
10.	ओम साईंराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ककरेहटा	2049	2491/07-10-2015
11.	महाकौशल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रोंसरा	1876	30/04-01-2016
12.	बलदेव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमरपुर	1925	29/04-01-2016
13.	माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहारी कटंगी	2123	348/11-02-2016
14.	किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कटंगी	1864	347/11-02-2016
15.	खनिज उत्पा. व्यवसाय सहकारी समिति मर्या., पाटन	1179	1939/29-07-2016
16.	जय भवानी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., नुनसर	1840	1942/29-07-2016

अतः मैं, बी. एम. सोनी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें.

उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(811)

बी. एम. सोनी,  
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2016-अग्रहायण 4, शके 1938

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**--राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील अम्बाह, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), श्योपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद (भिण्ड), जतारा (टीकमगढ़), मझगावां, उचेहरा (सतना), गरोट (मंदसौर), जावरा, आलोट, सैलाना, बाजना, पिपलोदा, रतलाम (रतलाम), घटिया, नागोद (उज्जैन), धरमपुरी (धार), सेंधवा, पानसेमल (बड़वानी), रायसेन (रायसेन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील कराहल (श्योपुर), लहार (भिण्ड), डबरा (ग्वालियर), खनियाधाना (शिवपुरी), बमोरी (गुना), पन्ना (पन्ना), मालथोन (सागर), बिरसिंहपुर (सतना), ब्यौहारी (शहडोल), अनूपपुर (अनूपपुर), मंझोली, चुरहट (सीधी), भानपुर, संजीत (मंदसौर), खाचरौद, महिदपुर, तराना, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), जोवट, अलीराजपुर, सोंडवा (अलीराजपुर), बदनावर, कुक्षी (धार), बड़वाह, सेगांव, खरगौन, भगवानपुरा, भीकनगाँव, झिरन्या (खरगौन), बड़वानी (बड़वानी), जावर, नसरुल्लागंज (सीहोर), नैनपुर (मण्डला), जुन्नारदेव, परासिया (छिन्दवाड़ा), वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- तहसील पोरसा (मुरैना), मेहगांव (भिण्ड), कोलारस (शिवपुरी), मुंगावली (अशोकनगर), राघोगढ़ (गुना), पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, वल्देवगढ़ (टीकमगढ़), छतरपुर, राजनगर (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), देवरी (सागर), रघुराजनगर, रामनगर, मैहर (सतना), जैतपुर, बुढार (शहडोल), कोतमा (अनूपपुर), मल्हारगढ़, मंदसौर (मंदसौर), राणापुर (झाबुआ), च. शेखर आ. नगर, उदयगढ़ (अलीराजपुर), सरदारपुर (धार), गोगांव (खरगौन), पाटी, ठीकरी, निवाली (बड़वानी), गैरतगंज (रायसेन), बाबई, वनखेड़ी (होशंगाबाद), मंझोली (जबलपुर), तामिया, पांढुर्ना, उमरेठ (छिन्दवाड़ा), लखनादौन (सिवनी), बालाघाट, किरनापुर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.-तहसील मुरैना, जौरा (मुरैना), रौन-मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, भितरवार, घाटीगाँव,

(ग्वालियर), शिवपुरी, पिछोर, नरवर, करैरा, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), ईसागढ़, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), गुना, आरोन, चांचोड़ा, कुंभराज (गुना), निवाड़ी, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, नौगाँव, बिजावर, बड़ामल्हरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, गन्नौर, पवई (पन्ना), बीना, खुरई, बंडा, सागर, रेहली, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली, शाहगढ़ (सागर), हटा, बटियागढ़, दमोह, पथरिया, जवेरा, तेन्दूखेड़ा, पटेरा (दमोह), रामपुरबघेलान, नागौद, अमरपाटन (सतना), सोहागपुर, गोहपारू, जैसिंगनगर (शहडोल), जैतहरी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोपदबनास, सिंहावल, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), सुबासराटप्पा, श्यामगढ़, सीतामऊ, धुन्धडका, कयामपुर (मंदसौर), मौ. बड़ोदिया, शाजापुर, शुजालपुर, कालापपील, गुलाना (शाजापुर), थांदला, मेघनगर,पेटलावद, झाबुआ (झाबुआ), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), धार, मनावर, गंधवानी, डही (धार), महेश्वर, कसरावद (खरगौन), राजपुर (बड़वानी), बुरहानपुर, खकनार, नेपालनगर (बुरहानपुर), सीहोर, श्यामपुर, आष्टा, इच्छावर, रहट, बुधनी (सीहोर), बेगमगंज, गोहरगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, पचमढी (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, कुंडम (जबलपुर), गाडरवाड़ा, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), निवास, बिछिया, मंडला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, चांद, सोंसर, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, हरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, बरघाट, कुरई, घंसौर, घनोरा, छपारा (सिवनी), लांजी, बैहर, खैरलांजी, परसवाड़ा, कटंगी, लालबरी, बिरसा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई-** जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सीहोर, बड़वानी, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला व बालाघाट में खरीफ फसलों की जुताई व धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी-** जिला सतना में फसल सोयाबीन, मक्का, तिली, अरहर व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, खरगौन, बड़वानी, भोपाल, रायसेन, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर व मंडला में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

#### 4. फसल स्थिति-

#### 5. कटाई-

6. **सिंचाई-** जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, झाबुआ बड़वानी, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति-** राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा-** राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज-** राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक-** राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असाामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	3.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	53.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	54.6				
4. जौरा	66.0				
5. सबलगाढ़	6.0				
6. कैलारस	15.0				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	16.0		4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, मूंग सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	24.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	7.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	4.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	17.0				
4. मेंहगांव	52.8				
5. लहार	28.4				
6. मिहोना	60.0				
7. रौन					
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. ग्वालियर	86.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	33.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	59.0				
4. घाटीगांव	68.0				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	84.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	79.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	21.0				
4. नरवर	58.0				
5. करैरा	94.5				
6. कोलारस	43.0				
7. पोहरी	109.0				
8. बदरवास	88.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	41.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	120.0		(2) . .		
3. अशोकनगर	67.0				
4. चन्देरी	77.0				
5. शाढौरा	. .				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	137.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	45.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	23.0				
4. आरोन	137.0				
5. चाचौड़ा	102.0				
6. कुम्भराज	94.0				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	77.0		4. (1) धान, ज्वार, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, अरहर- समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	51.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	15.0				
4. टीकमगढ़	42.0				
5. बल्देवगढ़	45.0				
6. पलेरा	71.0				
7. ओरछा	87.0				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	96.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	63.0		(2) . .		
3. नौगांव	88.2				
4. छतरपुर	44.2				
5. राजनगर	44.8				
6. बिजावर	71.0				
7. बड़ामलहरा	161.4				
8. बक्सवाहा	91.0				
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	220.6		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	33.4		(2) . .		
3. गुन्नौर	65.2				
4. पवई	101.0				
5. शाहनगर	51.3				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	60.4		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	57.0		(2) . .		
3. बण्डा	71.2				
4. सागर	150.9				
5. रेहली	61.2				
6. देवरी	42.0				
7. गढ़ाकोटा	121.0				
8. राहतगढ़	182.0				
9. केसली	119.6				
10. मालथोन	22.2				
11. शाहगढ़	158.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, अरहर, उड़द, ज्वार, मूंग, मक्का, गन्ना, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	78.6				
2. बटियागढ़	83				
3. दमोह	71.5				
4. पथरिया	217				
5. जवेरा	103				
6. तेन्दूखेड़ा	64				
7. पटेरा	190				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं धान, सोयाबीन, मक्का, तिली, अरहर की बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	40.5				
2. मझगावां	14.0				
3. रामपुर-बघेलान	62.0				
4. नागौद	55.5				
5. उचेहरा	14.0				
6. अमरपाटन	60.0				
7. रामनगर	36.0				
8. मैहर	36.0				
9. बिरसिंहपुर	33.0				
<b>15. *जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. त्यौथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान सुधरी हुई. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	102.0				
2. ब्यौहारी	30.0				
3. गोहपारु	101.0				
4. जैसिंहनगर	70.0				
5. जैतपुर	39.0				
6. बुढ़ार	43.3				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, तिल, कोदों-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	63.5				
2. अनूपपुर	26.6				
3. कोतमा	50.0				
4. पुष्पराजगढ़	235.5				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, ज्वार अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	87.7				
2. सिंहावल	94.2				
3. मझौली	32.2				
4. कुसमी	87.0				
5. चुरहट	18.5				
6. रामपुरनैकिन	57.0				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..			(2) ..		
3. सिंगरौली	..					
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	108.0			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	28.0			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	35.0					
4. गरोठ	9.8					
5. मंदसौर	49.0					
6. श्यामगढ़	83.0					
7. सीतामऊ	90.0					
8. धुंधडक्का	54.0					
9. संजीत	33.0					
10. कयामपुर	134.6					
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..			तुअर, मूंगफली, मूंग, धान	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..			अधिक.		
ज्वार समान.						
(2)		..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	12.4			4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	2.7			समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	11.41			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बाजना	17.0					
5. पिपलोदा	17.0					
6. रतलाम	3.3					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	24.0			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	19.0			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	29.0					
4. घटिया	16.0					
5. उज्जैन	25.0					
6. बड़नगर	24.0					
7. नागदा	8.0					
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..			4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..			समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	90.0			4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	96.2			उड़द, मूंगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	112.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कालापीपल	68.0					
5. गुलाना	140.0					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	60.0		4. (1) मक्का, सोयाबीन, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	79.0		कपास, धान, मूंगफली, तुअर	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	100.0		अधिक.		
4. झाबुआ	100.5		(2) ..		
5. राणापुर	45.0				
<b>29. जिला अलीराजपुर</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	30.0		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	19.0		मूंगफली, सोयाबीन, कपास,	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	59.0		तुअर अधिक.		
4. सोडवा	33.0		(2) ..		
5. उदयगढ़	43.6				
6. च. शेखर आ. नगर	49.0				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	18.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	38.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	118.0				
4. कुक्षी	28.5				
5. मनावर	72.0				
6. धरमपुरी	17.0				
7. गंधवानी	71.0				
8. डही	57.0				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	33.0		4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	88.6		राई-सरसों अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	20.0		धान, कपास, मूंगफली,		
4. खरगौन	25.8		तुवर, गेहूँ, चना कम.		
5. गोगावां	50.0		(2) ..		
6. कसरावद	73.0				
7. भगवानपुरा	25.4				
8. भीकनगांव	30.0				
9. झिरन्या	21.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	31.4				
2. ठीकरी	44				
3. राजपुर	82				
4. सेंधवा	17				
5. वरला	..				
6. पानसेमल	9				
7. पाटी	47				
8. निवाली	38				
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, कपास, धान, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	89.0				
2. खकनार	114.0				
3. नेपानगर	93.0				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, तुअर, धान, ज्वार, मूंग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. धान की व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	152.5				
2. श्यामपुर	119.2				
3. आष्टा	129.0				
4. जावर	23.7				
5. इछावर	169.0				
6. नसरुल्लागंज	32.0				
7. रेहटी	72.0				
8. बुधनी	89.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. रायसेन	12.4				
2. गैरतगंज	46.6				
3. बेगमगंज	81.5				
4. गोहरगंज	119.2				
5. बरेली	128.0				
6. सिलवानी	67.0				
7. बाड़ी	61.0				
8. उदयपुरा	136.0				
<b>41. *जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडांगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	56.0				
2. होशंगाबाद	95.8				
3. बावई	42.0				
4. इटारसी	144.6				
5. सोहागपुर	97.0				
6. पिपरिया	81.8				
7. बनखेड़ी	45.8				
8. पचमढी	84.4				
<b>43. *जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	96.0				
2. पाटन	73.6				
3. जबलपुर	103.6				
4. मझोली	46.8				
5. कुण्डम	98.4				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	112.0				
2. करेली	154.0				
3. नरसिंहपुर	104.0				
4. गोटेगांव	94.0				
5. तेंदूखेड़ा	65.0				
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	71.5				
2. बिछिया	103.0				
3. नैनपुर	25.7				
4. मण्डला	111.0				
5. घुघरी	64.4				
6. नारायणगंज	84.6				
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों, कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	69.8				
2. जुन्नारदेव	23.9				
3. परासिया	19.7				
4. तामिया	40.0				
5. सोंसर	90.3				
6. पांडुर्षा	37.0				
7. अमरवाड़ा	53.6				
8. चौरई	88.4				
9. चाँद	133.6				
10. बिछुआ	160.7				
11. हरई	78.4				
12. उमरेठ	50.7				
13. मोहखेड़ा	55.4				
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	192.40				
2. केवलारी	79.0				
3. लखनादोन	44.60				
4. बरघाट	133.0				
5. उरई	64.0				
6. घंसोर	89.0				
7. घनोरा	127.90				
8. छपारा	85.30				
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	49.8				
2. लाँजी	135.7				
3. बैहर	125.0				
4. वारासिवनी	26.4				
5. कटंगी	54.4				
6. किरनापुर	39.6				
7. लालबरी	78.0				
8. खैरलांजी	69.0				
9. परसबाड़ा	122.4				
10. बिरसा	87.0				

टीप.-\*जिला रीवा, सिंगरौली, बैतूल, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(785)